

न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का इशरौता बनाम उद्य पुत्र रामजीलाल जाट
कांकरेली

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/14/2022

निर्णय दिनांक :-

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कांकरेली की आ0 ख0 नं0 469 कुल रकबा 0-71 किस्म जमीन चारागाह में से 0.05 रकबे पर श्री उद्य पुत्र रामजीलाल जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 0-05/सफा कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का इशरौता द्वारा दिनांक 27/01/2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक टिपूरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी उद्य 810 श्री रामजीलाल जाट जाति जाट निवासी कांकरेली को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उद्य 810 श्री रामजीलाल जाट उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 469 रकबा 0-71 में से 0.05 रकबे किस्म चारागाह है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल चारागाह निलामी किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 14 Pais का 50 गुणा 7/2 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी इशरौता भू0 अ0 निरीक्षक टिपूरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मंजूर
 तहसीलदार
 तहसील (कठूमर)